कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3515 / 11–सी–FP/UP/Trans/15538/2015, लखनऊ, दिनांकः मई 27 ,2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात कुल 19.9019 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित ऑनलाइन प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, वन संरक्षक, प्रयागराज, आगरा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरेया/फतेहपुर की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों सहित ऑनलाइन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित है, कि कृपया विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 (यथा संशोधित 1988 एवं 2023) तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड है।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल ऑनलाइन अपलोड है।
4. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश ऑनलाइन अपलोड है।
5. मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
6. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
7. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समेकित रूप से प्रयागराज में चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
9. प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
10. भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र/वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड है।
12. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
13. प्रस्ताव में पातन होने वाले बाधक वृक्षों का व्यासवार एवं वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन अपलोड है।
14. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
15. विषयगत प्रस्ताव भारत सरकार के ''परिवेश 1.0'' पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिस कारण से परियोजना जॉच समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नकः–संस्तुति पत्र।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3515 /11–सी–FP/UP/Trans/15538/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रयागराज एवं आगरा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरैया/फतेहपुर।
3. महाप्रबन्धक (पारेषण), एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशे । (राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	CCF/कानपुर मंडल, कानपुर CF प्रयागराज एवं CF आगरा .... की सस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती हैं ।

दिनांक :--- 27/5/24

स्थान

हस्ताक्षर

Anupam Gupta
Principal Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

नाम

सरकारी मोहर